



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000 अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मोदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 406/2019 धारा-376,506 भा0द0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पिन्टू पुत्र जागों निवासी गहवरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को धारा 323 भा0द0सं0 व धारा 3(2)(5) क एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



अभियोजक  
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
क्षेत्राधिकारी बाल करन  
व श्रीमती सौम्या पाण्डेय



पैरोकार  
थाना - मौदहा  
का0 प्रदीप भार्गव